**आदेश 12 नियम 5 CPC के अन्तर्गत तथ्यों को स्वीकार करने का नोटिस**

न्यायालय ....

O.S. No. ............ सन् ............

अ०ब०स० ............ वादी

**बनाम**

स० द० फ० ............ प्रतिवादी

श्रीमान जी,

मेरे व्यवहारी श्री ............ की ओर से और उनके निर्देशानुसार वादी/प्रतिवादी की ओर से आपको निम्नांकित नोटिस भेजा जा रहा है।

यह कि वादी/प्रतिवादी उपरोक्त वाद में आपकी उपस्थिति इसलिए चाहता है कि आपके द्वारा उसमें दिये गये बहुत सारे तथ्यों को नोटिस प्राप्त होने से छ: दिनों के अन्दर या तो स्वीकार किया जाना है अथवा इन्कार किया जाना है, ताकि उन सभी उचित अपवादों के अतिरिक्त अन्य सभी तथ्या को सबूत के रूप में इस वाद में स्वीकार कर लिया जायेगा।

दिनांक ............ आपका शुभेच्छु ............

अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी ……

सेवा में, श्री ............ अधिवक्ता/अभिकर्ता प्रतिवादी या वादी स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने वाले तथ्य निम्न प्रकार हैं :--

1. ………..

2. ............

3 …………..

**दिनांक…..**

**अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी…….**